पत्रांक 4997/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/प्रवर्तन–अनु0/2012–13/देहरादून ।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तरखण्ड
(प्रवर्तन–अनुभाग)
देहरादून :: दिनांक 27 फरवरी, 2013

–::विज्ञप्ति::–

(धारा 48(2)(ख) सपठित नियम 26(ग)(दो)(ग) सपठित नियम 55)

विज्ञप्ति संख्या–4676/आयु0क0उत्तरा0/प्रवर्तन/2012–13/देहरादून, दिनांक 06 फरवरी, 2013 को विखण्डित करते हुए आदेशित किया जाता है कि –

(1) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 2005– समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–48(2)(ख) एवं उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम–2005(समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 26(ग)(दो)(ग) के अन्तर्गत यह प्राविधानित किया जाता है कि, आयातकर्ता द्वारा राज्य के बाहर से राज्य के अन्दर माल का आयात करने के लिए प्रयोग किये गये फार्म–XVI (मूल एवं द्वितीय प्रतियां), इन्वाइस/चालान/इसी प्रकार के अन्य प्रपत्रों को ऐसी अवधि के लिए, सुरक्षित रखा जायेगा, जो कारबार के दौरान रखे गये लेखों को सुरक्षित रखे जाने हेतु उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–61 में निर्धारित है; तथा

(2) प्रान्त के बाहर से माल का आयात करने की दशा में "आयातकर्ता" द्वारा फार्म–XVI की मूल प्रतियों को एवं फार्म–XVIII(D) में आयात सम्बन्धी सूचना को, निम्न परिस्थितिवार निम्न रीति एवं समय–सीमा के अनुसार, सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना निर्धारित किया जाता है :–

क्र0 सं0	परिस्थिति	अवधि (जिसके सम्बन्ध में सूचना दी जानी है)	समय–सीमा (ऑन लाईन सूचना दाखिल करने हेतु)	समय–सीमा (फार्म–XVI की मूल प्रतियां, फार्म–XVIII(D) में सूचना सहित प्रस्तुत करने हेतु)
1–	(क) यदि सूचना विभागीय वैबसाइट http://comtax.uk.gov.in पर, ऑन लाईन submit किये जाने का विकल्प चुना जाता है।	माल प्राप्ति से सम्बन्धित पूरा माह।	अगले माह की 10 तारीख तक अथवा अगला फार्म–16 प्राप्त करने हेतु दाखिल किये जाने वाले प्रार्थना पत्र तक, इनमें से जो पूर्ववर्ती हो।	सम्बन्धित त्रैमास के अगले माह के अन्त तक।
	(ख) यदि बिन्दु–1 (क) का विकल्प नहीं चुना जाता है।	माल प्राप्ति से सम्बन्धित पूरा माह।	–	सम्बन्धित माह के अन्त के 10 दिनों तक अथवा अगला फार्म–16 प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र तक, जो पूर्ववर्ती हो।
2–	उक्त के होते हुए, यदि आयातकर्ता आयरन एण्ड स्टील अथवा सीमेंट का ट्रेडर है अथवा खाद्य तेल का ट्रेडर है और टेंकरों से उसका आयात करता है ; और (क) यदि सूचना विभागीय वैबसाइट http://comtax.uk.gov.in पर, ऑन लाईन submit किये जाने का विकल्प चुनता है; और	माल प्राप्ति का सम्बन्धित दिन।	माल प्राप्ति के दिन से अगले 07 दिन तक।	सम्बन्धित "पक्ष" के अगले 05 दिनों के अन्दर अथवा अगला फार्म–16 प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र तक, जो पूर्ववर्ती हो।
	(ख) यदि उप बिन्दु (क) विकल्प नहीं चुनता है।	माल प्राप्ति का सम्बन्धित सप्ताह।	–	सम्बन्धित सप्ताह के अगले 02 दिनों के अन्दर अथवा अगला फार्म–16 प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र तक, जो पूर्ववर्ती हो।

नोट– 1– बिन्दु 1(क) एवं बिन्दु 2(क) सम्बन्धी ऑन लाईन रिति का एक बार विकल्प चुनने के उपरान्त अन्य विकल्प अनुमन्य नही होगा।

2– "पक्ष" का तात्पर्य किसी माह के प्रथम 15 दिन अथवा प्रथम 15 दिनों के बाद के शेष दिनों से है।

क्रमशः पेज– 2

यह विज्ञप्ति दिनांक 01–03–2013 से प्रवृत्त होगी।

संलग्न– निर्धारित Form-XVIII(D)/
"Form-16 Declaration Sheet"।

(सौजन्या)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 4997 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस इन्द्रनगर, देहरादून
3– अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5– एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने क्षेत्र के अधिकारियों/बार एसोसियेसन/ उद्योग एवं व्यापारी संगठनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, हरिद्वार/कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
10– श्री रोशन लाल, डि0कमि0(क0नि0)–3, देहरादून/वैब ऑफिसर को वैबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
11– डिप्टी कमिश्नर, (उच्च न्याय0कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
12– मुख्यालय के संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति स्कैन करके उद्योग, व्यापार एवं बार के प्रतिनिधियों को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
13– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।
14– इन्टावेट ईन्फो प्रा0लि0–4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर–13 आर0 सिंधुआ मार्ग, मुम्बई–400001।
15– नेशनल लॉ हाउस, बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग, अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद।
16– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेंट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
17– स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई–233, शास्त्री नगर, गाजियाबाद–201002।
18– अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
19– दी होलसेल डीलर्स एसो0, 14 आढ़त बाजार, देहरादून।
20– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसो0, 222/5 गाँधी ग्राम, देहरादून।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।